आरोप | आदिवासी कन्या छात्रावास में अधीक्षिका पर लगे प्रताड़ना के आरोप, छात्राओं ने संभागीय अधिकारियों से की शिकायत

अधीक्षिका ने उठाए छात्राओं के चरित्र पर सवाल, किया अपमानित

नवभारत,जबलपुर। शा. महाविद्यालयीन आदिवासी कन्या छात्रावास, राईट टाउन की छात्राओं ने अधीक्षिका पर लगातार प्रताड़ना और अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने शिकायत में कहा कि अधीक्षिका द्वारा न केवल उनके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं बल्कि अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। छात्राओं का कहना है कि अधीक्षिका ने उन्हें क्षेत्र संयोजक रीता पटैल और सहायक आयुक्त जी. के. दुबे के नाम पर धमकियां दी हैं। इसके अलावा, छात्राओं के बीच अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

साफ-सफाई और सुरक्षा की समस्या

शिकायत में कहा गया है कि छात्रावास में साफ-सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जाता। छात्रावास के टॉयलेट और भोजन कक्ष में गंदगी रहने के साथ-साथ वहां चूहे जैसी गंदगी भी देखी गई है। वहीं, अधीक्षिका छात्रावास में लगातार उपस्थित नहीं रहतीं, जिससे आपातकालीन स्थिति में छात्राओं की सुरक्षा जोखिम में है।

अध्ययन और भोजन पर लगाया प्रतिबंध

छात्राओं ने यह भी शिकायत की कि उनकी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी अधीक्षिका की ओर से दबाव बनाया जाता है। छात्राओं को एक साथ खाने की सुविधा नहीं दी जाती, और इस कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है।

तत्काल कार्रवाई की मांग

छात्राओं ने संभागीय उप-आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग और सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जबलपुर से आग्रह किया है कि अधीक्षिका को तत्काल निलंबित किया जाए और एस.डी.एम. स्तर के अधिकारी द्वारा प्रकरण की जांच कराई जाए। साथ ही छात्रावास में किसी एस.सी./एस.टी. समुदाय के अधीक्षक की नियुक्ति करने की मांग भी की गई है।

महात्मा गांधी ग्रामोदय विवि में हुई नियुक्ति को चुनौती

हाईकोर्ट ने राज्य शासन सहित अन्य से मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की प्रारंभिक नियुक्ति को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने मामले में राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला याचिकाकर्ता रिसर्च स्कालर सुभाष चंद्र यादव की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता प्रवीण ज्योति वर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि डॉ. रमेश चंद्र त्रिपाठी प्रोफेसर जीव विज्ञान महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की प्रारंभिक नियुक्ति चुनौती के योग्य है। ऐसा इसलिए, क्योंकि उक्त नियुक्ति विधिवत विज्ञापन के बिना की गई थी, जो स्थापित चयन प्रक्रिया व नियमों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त संबंधित प्रोफेसर को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के पोर्टल पर असंगत रूप से कभी फूड इंजीनियरिंग तो कभी सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया, जबकि उनकी मूल विषय वस्तु जीव विज्ञान है। यह तथ्यों के विपरीत भ्रामक प्रस्तुतिकरण है। विश्वविद्यालय प्रशासन, विशेषकर कुलपति स्तर पर, पूर्व में भी कई मामलों में न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है, जिनके संबंध में न्यायालय में वाद लंबित हैं। इस संदर्भ को भी वर्तमान याचिका में महत्वपूर्ण आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

डायल-112 के ठेके में कोई तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मध्य प्रदेश में डायल-112 के ठेके के विरुद्ध दायर याचिका में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए उसे निरस्त कर दिया। युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस ठेके में कोई तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं है। न्यायालय के उक्त आदेश से सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल राज्य शासन ने मप्र पुलिस टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर द्वारा सिकंदराबाद की कंपनी को 972 करोड़ रुपये का ठेका आवंटित किया था। मप्र में 10 साल तक अत्यावश्यक सेवा का संचालन करने वाली बीवीजी इंडिया लिमिटेड पुणे की कंपनी ने उक्त ठेके को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया कि तेलंगाना की कंपनी ईएमआरआई ग्रीन्स को पांच वर्ष के लिए ठेका दिया गया है। डायल 112 के सिस्टम इंटीग्रेटर फेस-टू के चयन को लेकर नया टेंडर 12 मार्च 2025 को जारी किया गया। इस प्रक्रिया में ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विस सिकंदराबाद तेलंगाना को सफल मानकर टेंडर जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ता कंपनी का आरोप था कि सिकंदराबाद की कंपनी ने टेंडर में फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, इसलिए उसको अयोग्य घोषित होना चाहिए। मामले पर हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी हाजिर हुए।

नियम तोड़ने वाले यात्री वाहनों पर 40,500 का जुर्माना, एक वाहन जब्त

आरटीओ की उड़नदस्ता टीम ने की विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही

नवभारत,जबलपुर। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर आरटीओ श्रीमती रिंकू शर्मा के नेतृत्व में नियमों का उल्लंघन कर संचालित यात्री वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आरटीओ उड़नदस्ता टीम ने शहर में विभिन्न क्षेत्रों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 04 पीए 0680 को आवश्यक दस्तावेजों की कमी और कर वंचन के कारण जब्त किया गया। वहीं, वाहन क्रमांक एमपी 20 ई 6165 से 31,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। इसके अलावा 7 अन्य वाहनों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। इस पूरे अभियान में कुल 40,500 रुपए का राजस्व वसूला गया, जिससे परिवहन विभाग की सख्ती स्पष्ट नजर आई। कार्रवाई के दौरान प्रभारी राजेंद्र साहू, परिवहन उप निरीक्षक अक्षय पटेल, परिवहन आरक्षक इम्तियाज हुसैन, पीयूष मरावी, सारंगधर महाले, उमाशंकर उपाध्याय, आशुतोष मोघे, धर्मेंद्र तोमर, धीरज खरे, शंकर झरिया सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

वकीलों ने ओला सर्विस सेंटर पर जड़ा ताला, खराब सर्विस और पार्टस् की कमी का लगाया आरोप

जबलपुर, नवभारत। ओला इलेक्ट्रिक की खराब सर्विस से परेशान हो चुके वकील व उपभोक्ताओं ने सोमवार को सर्विस सेन्टर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। खराब सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स की कमी व की मरम्मत में देरी से आक्रोशित वकीलों ने प्रतीकात्मक रूप से सेंटर पर ताला जड़ दिया। इस विरोध प्रदर्शन में कई अन्य उपभोक्ता भी शामिल हुए। इस संबंध में एड. जीएस ठाकुर का कहना था कि उन्होंने दो साल पहले ओला स्कूटर खरीदी थी। पिछले साल दिसंबर में एक दुर्घटना के बाद उन्होंने स्कूटर को इंश्योरेंस क्लेम के लिए सर्विस सेंटर में जमा कराया था। चार महीने बीत जाने के बाद भी उनका वाहन ठीक नहीं हो सका है। वकीलों का आरोप है कि कंपनी समय पर स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं करा रही है। जिसके कारण कई गाडियां महीनों से सर्विस सेंटर में खड़ी हैं।

कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं

खराब सर्विस का विरोध कर रहे श्री ठाकुर ने बताया कि सेंटर पर कोई जिम्मेदार अधिकारी उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए मौजूद नहीं होता है। छोटे कर्मचारियों को ही ग्राहकों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार कंपनी ने बिक्री के समय बेहतर सर्विस व त्वरित मरम्मत का दावा किया था लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उनका कहना है कि सर्विस सेंटर में बड़ी संख्या में वाहन लंबे समय से खड़े हैं, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने कंपनी पर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस को पहले ही सूचना दी जा चुकी है और जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक यह विरोध जारी रहेगा।

ईगल पीसी स्नेहल कंपनी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

उपयंत्री को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस

नवभारत,जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने और विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार पूरी तरह सख्त नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने गौरीघाट के रेत नाका से बंदरिया तिराहा तक पैदल भ्रमण कर विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने 'री-स्टोरेशन' के कार्यों में अत्यधिक देरी और ढिलाई पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। इस दौरान उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था ईगल पी सी स्नेहल कंपनी पर 5 लाख रुपये का भारी जुर्माना अधिरोपित किया है। इसके साथ ही, कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग न करने के चलते आर बी कंसल्टेंट और संबंधित उपयंत्री को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

शहर विकास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : निगमायुक्त

निगमायुक्त ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में लेटलतीफी और गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर काम तय समय सीमा में और जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर पूरा होना चाहिए। निगमायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क किनारे बने फुटपाथों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। वहीं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने अधिकारियों को निर्देशित कर बताया कि सीवर, पेयजल और लोककर्म विभाग के कार्यों को आपसी समन्वय के साथ जल्द पूर्ण किया जाए। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने 'सिटी ब्यूटीफिकेशन और उद्यान विभाग के कार्यों का भी जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए।

शक्तिपुंज एक्सप्रेस का रांची रोड स्टेशन पर अस्थायी ठहराव

जबलपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मण्डल में स्थाई तौर पर बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली कुछ रेलगाड़ियों का ठहराव अस्थाई तौर पर राँची रोड देने का निर्णय आगामी 03 माह तक के लिए लिया गया है। जिसमें पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली गाड़ी सांख्य 11447/11448 जबलपुर-हावड़ा-जबलपुर एक्सप्रेस शामिल है गाड़ी संख्या 11447 जबलपुर-हावड़ा शक्तिपुंज एक्सप्रेस 21 मई से राँची रोड रेलवे स्टेशन पर आगमन प्रस्थान समय दोपहर 13:50/13:55 बजे ठहराव रहेगा।

स्टेट बार की अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के नियम

वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन व अभा बार परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल की अंतिम मतदाता सूची में उन्हीं वकीलों का नाम शामिल होगा जो वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन व अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन एक अप्रैल को किया जाएगा। वे अधिवक्ता जिन्होंने 24 अप्रैल को सायंकाल चार बजे तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन आवेदन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस आफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है और अभा बार परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके नाम निर्वाचन में मताधिकार हेतु चुने गए स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इस संबंध में सूचना प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों को भी प्रेषित की गई है कि वे उन अधिवक्ताओं से वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन फार्म भरवाए, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं। स्टेट बार चुनाव-2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय.समय पर विभिन्न सूचनाएं, अधिसूचनाएं एवं दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोविजनल मतदाता सूची, आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी तथा अन्य आवश्यक चुनाव संबंधी निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी अधिवक्ता संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधिवक्ता संघ के सदस्यों को उक्त वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं। संबंधित त्रुटिपूर्ण करने के उपरांत परिषद की ई-मेल आई डी के माध्यम से आवेदन करने पर त्वरित कार्यवाही कर नियमानुसार मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाएगा।

सरकारी भूमि पर अवैध मस्जिद निर्माण करने का आरोप

निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और भूमि की जांच की मांग

नवभारत,जबलपुर। रानी लक्ष्मीबाई वार्ड क्र. 67 में गौर नदी-मंडला रोड के खेरमाई मंदिर के सामने एक मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर ग्रामीण और क्षेत्रीय संगठनों ने विरोध जताया है। स्थानीय ग्रामवासियों का कहना है कि निर्माण से उनके पुराने रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे नदी तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है। विश्व हिन्दू परिषद, आयुध जिला, जबलपुर के जिला मंत्री नवीन सिंह ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और भूमि की जांच की मांग की है। पत्र में बताया गया है कि मस्जिद जिस जमीन पर बनाई जा रही है, वह खसरा नं. 137 पर है और पूर्व में यह दुबे परिवार की थी। नवीन सिंह ने प्रशासन से आग्रह किया है कि अवैध निर्माण रोकने के साथ-साथ बंद रास्ते को भी खुलवाया जाए, ताकि ग्रामवासियों की समस्या का समाधान हो सके।

दिन में धूप, रात में गुलाबी ठंडक बरकरार

जबलपुर। गत दिवस बारिश होने के बाद मौसम की रंगत बदली हुई है। दिन में गर्मी तो रात में गुलाबी ठंड बरकरार है। सोमवार को सुबह से सूर्यदेव के तेवर उग्र रहे। दिन चढ़ने के साथ सूरज ने चुभन का एहसास कराया। शाम में हवाएं चलने के बाद रात में हल्की ठंडक बनी रही। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से एक डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा। सुबह के वक्त आद्रता 48 और शाम को 39 प्रतिशत दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ, एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में जम्मू और निकटवर्ती क्षेत्र पर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊँचाई पर अवस्थित है। एक ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण, मध्य पाकिस्तान और निकटवर्ती क्षेत्र पर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी ऊँचाई पर सक्रिय है। एक अन्य ऊपरी वायु चक्रवातीय परिसंचरण, पूर्वोत्तर राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्र पर माध्य समुद्र तल से 0.9 किमी की ऊँचाई पर सक्रिय है। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं लगभग 148 किमी घंटा की गति माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी ऊँचाई पर पश्चिम भारत के ऊपर बह रही है। उत्तर-पश्चिम भारत को, दो पश्चिमी विक्षोभ के पहला 26 मार्च से और दूसरा 29 मार्च से प्रभावित करने की संभावना है।

सोम डिस्टिलरीज के मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में सोमवार को सोम डिस्टिलरीज का लाइसेंस निरस्त करने के मामले में उभय पक्षों के तर्क पूरे हो गये। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व जस्टिस विशाल मिश्रा और जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकलपीठों ने मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया था। इसके बाद चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा के आदेश पर मामला जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ में नियत किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विगत 20 मार्च को भी मामले पर सुनवाई हुई थी। दरअसल, मध्य प्रदेश शासन ने 4 फरवरी को शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज के दो लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। जिसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने सोम डिस्टिलरीज के सभी लाइसेंस निलंबित कर दिए थे। रायसेन जिले में स्थित सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड और मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस आबकारी आयुक्त ने सस्पेंड कर दिया है। तत्कालीन आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंपनियों के संचालक, प्रतिनिधि, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता व कर्मचारियों के विरुद्ध अपर सत्र न्यायालय, देपालपुर जिला इंदौर के एक प्रकरण में पारित निर्णय के आधार पर कार्रवाई की गई थी।

रामपुर-जलपरी मार्ग आमजन के लिए खुला

220 केवी सब स्टेशन तक सड़क निर्माण शुरू, भारी वाहनों पर लगेगा प्रतिबंध

नवभारत,जबलपुर। रामपुर के आजाद चौक से जलपरी मार्ग होते हुए विद्युत कंपनियों के आवासीय परिसर तक जाने वाला मार्ग सोमवार से आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। इस फैसले से खासतौर पर विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से राहत मिलेगी।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन व प्रशासन) एफ.के. मेश्राम के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। मार्ग खुलने के साथ ही इसके डामलीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण 220 केवी सब स्टेशन तक किया जा रहा है। सड़क तैयार होने के बाद रामपुर से बरगी हिल्स तक आवागमन और अधिक आसान और सुगम हो जाएगा। सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए जलपरी से सब स्टेशन तक के मार्ग पर बैरियर भी लगाए जा रहे हैं। इससे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगेगी और आम नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57